न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS)

वादपत्र संख्या **70 / 2019** दायर तारीख 17 / 10 / 2019

अनवान

1. नन्दू पुत्री जगन्नाथ पत्नी रामलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा हाल मुकाम छोटा नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
2. बरजी पत्नि लक्ष्मण जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
3. सावित्रा पुत्री लक्ष्मण पत्नि सतु जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा हाल मुकाम इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
4. कविता पुत्री लक्ष्मण पत्नि बबलु जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा हाल मुकाम उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
5. सुनिता पुत्री लक्ष्मण पत्नि बनवारी जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा हाल मुकाम गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
6. चन्दा पुत्री लक्ष्मण पत्नि पिन्टू जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा हाल मुकाम गोर्धननिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।

...................वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र प्यारचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
2. लीला पुत्री प्यारचन्द पत्नी जगदीश जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा हाल मुकाम छोटा लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
3. गोपाली पुत्री प्यारचन्द पत्नी शम्भुलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा हाल मुकाम गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
4. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 14 / 6 / 2022

संक्षेप में तथ्य प्रकरण के इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता रामफूल धाकड़ द्वारा दिनांक 17.10.2019 को एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगणों के खिलाफ प्रस्तुत

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाड़ा

कर न्यायालय से निवेदन किया गया कि वादीगण के पूर्वज स्व0 जगन्नाथ जी की खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नं0 552/196 रकबा 2–10 बीघा में से 2/5 वां हिस्सा प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 3 के पिता प्यारचन्द पिता जयचन्द धाकड़ निवासी लक्ष्मीखेड़ा को विक्रय कर कब्जा दे दिया। शेष 3/5 वां हिस्सा जगन्नाथ पिता गोकल धाकड़ के नाम पर शेष रहा। जगन्नाथ पुत्र गोकल धाकड़ के विक्रय पत्र की क्रियान्वती में दिनांक 01.07.1983 को नामान्तरण संख्या 137 मौजा लक्ष्मीखेड़ा बाबत् खोला गया। जिसमें 3/5 हिस्सां खातेदार जगन्नाथ व 2/5 प्यारचन्द के नाम दर्ज रेकॉर्ड किये जाने बाबत् निर्णित किया जाकर सम्वत 2037 से 2040 की जमाबन्दी में 3/5 हिस्सा जगन्नाथ पिता गोकल धाकड़ व 2/5 हिस्सा प्यारचन्द पिता जयचन्द धाकड़ के नाम दर्ज कर दिया गया। मौजा लक्ष्मीखेड़ा की आगे की रोटेशन जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2045 तक में पूर्व जमाबन्दी के इन्द्राज को नही दौरा हैराफेरी एवं त्रुटि पूर्ण इन्द्राज करते हुये बिना सक्षम अधिकारी के आदेश व बिना किसी विक्रय हस्तान्तरण के खसरा संख्या 552/196 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वां में जगन्नाथ पिता गोकल धाकड़ के 3/5 वे हिस्से को विलोपित कर कुलया भूमि खसरा नम्बर 552/196 की 2 बीघा 10 बिस्वां प्यारचन्द पिता जयचन्द धाकड़ के नाम पर बहैसियत खातेदारी के दर्ज कर दी गयी। जो पूर्ण रूप से अवैध शून्य एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं। अवैध रूप से राजस्व रेकॉर्ड में की गयी हैराफेरी अथवा त्रुटीपूर्ण इन्द्राज का कोई विधिक प्रभाव नही है। न ही जगन्नाथ धाकड़ के खसरा संख्या 552/196 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वां में से 3/5 वे हिस्से की खातेदार समाप्त हुई न ही कब्जा हटा हैं। जगन्नाथ धाकड़ की मृत्यु हो गयी है। उनके उत्तराधिकारी वादीगण है उन्हे जगन्नाथ की मृत्यु के पश्चात खसरा नम्बर 552/196 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वां 3/5 वें हिस्से की खातेदारी वापिस दर्ज करवाने का अधिकार है। प्यारचन्द पिता जयचन्द धाकड़ की मृत्यु हो गयी है। उनके उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 3 है जिन्हे अपने खाते में 2/5 हिस्सां रखने का अधिकार हैं। इसलिये जगन्नाथ के 3/5 वे हिस्से का वर्तमान में दर्ज खातेदारी प्यारचन्द पिता जयचन्द धाकड़ अथवा उनके उतराधिकारियो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक की खातेदारी से हटाया जाकर वादीगण को उक्त हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि एवं न्याय सम्मत हैं। वादीगण ने अनुतोष चाहा कि मौजा लक्ष्मीखेड़ा स्थित खसरा नं0 552/196 रकबा 2–10 बीघा में वादीगण को 3/5 वे हिस्से व प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 तक को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावें एवं वादीगण के वैध 3/5 हिस्से पर वादीगण को काश्त करने से नहीं रोकने न उनको कब्जा हटाने न वादीगण के 3/5 वे हिस्से का अन्तरण करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गई।

शहादत वादी में वादीगण की ओर से पीडब्ल्यू 1 गवाह वादी सावित्रा पुत्री लक्ष्मण धाकड़ नि0 लक्ष्मीखेड़ा के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली की गयी

वादी के बयान पीडब्ल्यू 1 दिनांक 18.02.2020 को लिये गये बयान में अंकित किया गया कि मौजा लक्ष्मीखेड़ा स्थित खसरा नं0 552/196 रकबा 2–10 बीघा में वादीगण का 3/5 वां हिस्सा व प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 तक का 2/3 हिस्सा निहित हैं।

वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से सम्वत् 2073 पेश की जो EX-1 हैं। खाता शुद्धिकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो EX-2 हैं। रिपोर्ट पटवारी हल्का लक्ष्मीखेड़ा की पेश की जो EX-3 हैं। नकल जमाबन्दी ग्राम लक्ष्मीखेड़ा की पेश की जो EX-4 हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2037 से सम्वत् 2040 पेश की जो EX-5 हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2042 से सम्वत् 2045 पेश की जो EX-6 हैं।

EX-3 रिपोर्ट पटवारी हल्का लक्ष्मीखेड़ा की पेश की जिसमें अंकित किया कि जमाबन्दी संवत 2070–73 मौजा ग्राम लक्ष्मीखेड़ा प0ह0 लक्ष्मीखेड़ा के खाता संख्या 111 पर आ.नं. 552/196 रकबा 2–10 बीघा भूमि खातेदार प्यारा पि. जयचन्द धाकड़ सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है एवं जमाबन्दी संवत 2037–2040 के खाता सं. 34 पर आ.नं. 552/196 रकबा 2–10 बीघा बेचान से 2/5 वां हिस्सा प्यारचन्द पिता जयचन्द धाकड़ सा. लक्ष्मीखेड़ा के नाम दर्ज है। यह कि जमाबन्दी संवत 2037–2040 में आ.नं. 552/196 रकबा 2–10 बीघा भूमि खातेदार जगन्नाथ पि. गोकल के नाम दर्ज था। जिसमें से नामा.सं. 137 दिनांक 01.07.83 से खातेदार जगन्नाथ पिता गोकल का 2/5 वां हिस्सा जरिये विक्रय पत्र प्यारचन्द पि. जगन्नाथ के नाम दर्ज किया गया। एवं शेष 3/5 वां हिस्सा जगन्नाथ पि. गोकल के बदस्तूर रहेगा जो कि जमाबन्दी संवत 2037–40 के अमल दरामद में स्पष्ट है लेकिन वक्त रोटेशन 2042–2045 में आ.नं. 552/196 रकबा 2–10 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्यारा पि. जयचन्द धाकड़ के दर्ज हो गई जो आज दिनांक तक व जमाबन्दी संवत 2070–73 में बदस्तूर हैं अतः आ.नं. 552/196 रकबा 2–10 बीघा भूमि का 3/5 वां हिस्सा जगन्नाथ पि. गोकल के नाम दर्ज किया जाना उचित हैं।

वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो का विस्तार से जिक्र किया. वाद पत्र के साक्ष्य स्वरूप पीडब्ल्यू 1 गवाह वादी सावित्रा पुत्री लक्ष्मण धाकड़ नि0 लक्ष्मीखेड़ा के बयान करवाये है। प्रतिवादीगण ने भी जवाब प्रस्तुत कर मौजा ग्राम लक्ष्मीखेड़ा प0ह0 लक्ष्मीखेड़ा स्थित आ.नं. 552/196 रकबा 2–10 बीघा भूमि का 3/5 वा हिस्सा जगन्नाथ पि. गोकल के नाम दर्ज किया जाना उचित बताया है।

लगातार पेज संख्या 04 पर

उपखण्ड अधिकारी

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की बहस पर मनन किया।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं विपक्षी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त वादपत्र को डिक्री जाने योग्य है।

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर मौजा ग्राम लक्ष्मीखेड़ा प0ह0 लक्ष्मीखेड़ा स्थित आ.नं. 552 / 196 रकबा 2–10 बीघा भूमि का 3 / 5 वें हिस्से का जगन्नाथ पि. गोकल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर नाम राजस्व अभिलेखो में अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री मुर्तिब हो। पक्षकारान खर्चा अपना– अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 15 . 6 .2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा